

डिक्री बमुकदमें ईब्लदाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी

पीठासीन अधिकारी-उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या-173/2017

1. सचिन ऐचरा } पि0 इन्द्रजीत जाति जाट निवासी कुलचन्द्र तहसील टिब्बी
2. विपिन } जिला हनुमानगढ।

-वादीगण

बनाम

1. इन्द्रजीत पुत्र अभयपाल जाति जाट निवासी कुलचन्द्र तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. शाखा प्रबन्धक राज0 मरुधरा ग्रामीण बैंक कुलचन्द्र।

-प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री रूपराम कासनिया वकील वादीगण भिन जामिन मुदई श्री मदनसिंह बुरडक प्रतिवादीगण भिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि चक 8 सीडीआर के जमाबंदी संवत 2072 ता 75 के खाता स0 8/2 में कुल 6.072 है0 नहरी मय गै0मु0 आराजी में से 1/2 हिस्सा का वादीगण ब0हि0ब0 खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व इसी अनुसार रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा कम किया जाकर वादीगण के नाम से बहिब राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। बैंक हित सुरक्षित रखते हुव उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति में रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत.....निल.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक अदा करें।

बसव्द मेरे दस्ख्त एवं मुहर अदालत से दिनांक 15.06.17 को राजस्व लोक अदालत-न्याय आपके द्वार 2017 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत कुलचन्द्र में जारी किया गया।

राजस्व लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार-2017
कैम्प.....

74.06.16
(उम्मेदसिंह रतनू)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर एवं
पुढेन सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी